

योजना प्रारंभ (अधिनियम के क्रियान्वयन) से प्रश्न दिनांक तक की स्थिति में प्राप्त, निराकृत, मान्य एवं वितरित वन अधिकार पत्रों की जानकारी

[ 21/2/2019 ]

क्रमांक	जिला	वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत प्राप्त दावों की संख्या		निराकृत दावों की संख्या		निरस्त दावों की संख्या		निराकरण हेतु लंबित दावों की संख्या		मान्य दावों की संख्या		मान्य दावों में से वितरित वन अधिकार पत्रों की संख्या		मान्य दावों में से वितरण करने हेतु शेष दावों की संख्या	
		आदिवासी	अन्य परम्परागत वर्ग	आदिवासी	अन्य परम्परागत वर्ग	आदिवासी	अन्य परम्परागत	आदिवासी	अन्य परम्परागत	आदिवासी	अन्य परम्परागत	आदिवासी	अन्य परम्परागत	आदिवासी	अन्य परम्परागत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	इंदौर	3376	279	3376	279	1944	273	0	0	1432	6	1432	6	0	0
2	धार	33688	44	33688	44	17634	0	0	0	16054	44	16054	44	0	0
3	झाड़वा	4325	0	4325	0	2840	0	0	0	1485	0	1325	0	160	0
4	अलीराजपुर	11293	0	11293	0	3211	0	0	0	8082	0	7587	0	495	0
5	खरगोन	27655	928	27655	928	9618	928	0	0	18037	0	18037	0	0	0
6	बड़वानी	36945	3127	36945	3127	13095	2973	0	0	23850	154	23850	154	0	0
7	खण्डवा	14083	977	14083	977	3280	421	0	0	10803	556	10803	556	0	0
8	बुरहानपुर	12732	1267	12732	1267	6026	416	0	0	6706	851	6706	851	0	0
	योग	144097	6622	144097	6622	57648	5011	0	0	86449	1611	85794	1611	655	0

प्रश्न सं. [ क. 90 ]

सहायक निर्वाजन अधिकारी  
आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं  
भोपाल

परिशिष्ट- दो

विधान सभा सत्र फरवरी 2019

तारांकित प्रश्न क्रमांक-90 के उत्तरांश - 'घ' की जानकारी का परिशिष्ट- दो

वर्ष	इन्दौर संभाग में वनोपज से प्राप्त राशि (करोड़ में)	इन्दौर संभाग में विगत पांच वर्षों में तेन्दूपत्ता विक्रय से प्राप्त राशि एवं खर्च मदों की जानकारी (राशि करोड़ में)					
		विक्रय मूल्य	शुद्ध लाभ	देय वोनस	वितरित वोनस	ग्राम संसाधन की राशि	अधोसंरचना विकास की राशि
2013-14	123.83	11.14	2.88	2.02	1.96	0.43	0.43
2014-15	110.97	10.85	2.48	1.74	1.74	0.37	0.37
2015-16	43.07	12.08	3.22	2.25	2.24	0.48	0.48
2016-17	100.29	19.24	7.98	5.59	5.55	1.19	1.19
2017-18	113.68	35.11	22.47	15.73	14.56	3.37	3.37

उपरोक्तानुसार वन विभाग को वनोपज से प्राप्त राजस्व शासन के राजकोष में जमा की जाती है। प्राप्त राजस्व को किसी भी मद में खर्च नहीं किया जाता है। उक्त राजस्व की राशि में से मुख्यशीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों में से 0228 अर्थदण्ड, राजसातकरण, 0230 विदेशी सेवा पर गये अधिकारियों का अंशदान एवं 0232-कम्प्यूटेशन की राशि को घटाकर दर्शाया गया है।

उपरोक्तानुसार लघु वनोपज-तेन्दूपत्ता से प्राप्त आय में से संग्राहको को बोनस की राशि के रूप में भुगतान कर लाभांशित किया जाता है।

(गिरिधर राव)

13/2/19

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन-भू अभि०)

मध्यप्रदेश, भोपाल

*[Signature]*

सहायक नियोजन अधिकारी  
आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएँ  
राजपुड़ा भवन, भोपाल